भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 3742**

(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

एमएसएमई और एसएचजी से निर्यात को बढ़ावा देना

3742. **सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा बाजार पहुंच, क्षमता निर्माण और ब्रांडिंग के लिए सहायता सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या पहल की गई हैं,

(ख) एमएसएमई और एसएचजी को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं और सीमा-पार ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों में एकीकृत करने के उद्देश्य से बनाई गई योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत के निर्यात निष्पादन में एमएसएमई और एसएचजी के योगदान के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाने में उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों के संबंध में कोई आकलन किया गया है; और

(घ) वित्तीय सहायता, डिजिटल सक्षमता और निर्यात प्रक्रियाओं के सरलीकरण सहित एमएसएमई और एसएचजी की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ) केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित और नवंबर 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित निर्यात संवर्धन मिशन का कार्यान्वयन, वर्ष 2025-26 से वर्ष 2030-31 तक की अवधि के लिए 25,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, वाणिज्य विभाग, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस मिशन में बाजार पहुंच, क्षमता निर्माण और गुणवत्ता प्रमाणन के लिए सहायता के माध्यम से व्यापार वित्त क्षमता को सक्षम

बनाने हेतु सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच में एमएसएमई निर्यातकों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का समाधान करने का प्रस्ताव है।

ईपीएम दो एकीकृत उप-स्कीमों के माध्यम से कार्य करता है:

i. निर्यात प्रोत्साहन: पूर्व और पश्च शिपमेंट निर्यात ऋण के लिए ब्याज सहायता, निर्यात फैक्टरिंग सहायता, निर्यात ऋण के लिए आनुषंगिक गारंटी, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी, और एमएसएमई निर्यातकों के लिए क्रेडिट वृद्धि सहायता जैसे कारकों के माध्यम से किफायती व्यापार वित्त तक पहुंच का विस्तार करने पर केंद्रित है।
ii. निर्यात दिशा: निर्यात गुणवत्ता और अनुपालन सहायता, संभार तंत्र और विदेशी भंड़ारागार, बाजार पहुंच सहायता, वैश्विक ब्रांडिंग और पैकेजिंग, माल ढुलाई और परिवहन के लिए संभार तंत्र मध्यस्थताओं की सुविधा, व्यापार आसूचना और क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए सहायता सहित व्यापार को संभव बनाने वाले महत्वपूर्ण गैर वित्तीय कारकों पर केंद्रित है।

निर्यात केंद्र के रूप में विकासशील जिलें (डीईएच) पहल के तहत, देश के सभी जिलों में निर्यात योग्य उत्पादों (कृषि और एमएसएमई/कारीगर उत्पाद सहित) को चिन्हित किया गया है। संस्थागत संरचना में राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन समितियां, जिला निर्यात संवर्धन समितियां शामिल हैं। डीईएच पहल के तहत क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का उद्देश्य ईपीएम मध्यस्थता का लाभ उठाकर वैश्विक बाजारों में एमएसएमई समूहों, एसएचजी और ई-कॉमर्स निर्यातकों सहित जिला स्तर के उत्पादकों के बीच संपर्क स्थापित करना है। आउटरीच कार्यक्रम, ऑन-बोर्ड उत्पादकों से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश हेतु ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग से आयोजित किए जाते हैं।

ईपीएम के तहत, विदेशी भंड़ारागार सुविधा, विदेशी पूर्ति केंद्र, प्रदर्शन सुविधाएं और ई-कॉमर्स निर्यात हब (ईसीईएच) स्थापित करने में शामिल पात्र इकाईयों को सहायता प्रदान की जाती है। ई-कॉमर्स निर्यातकों को, वैश्विक बाजारों में निर्यात के लिए डाक या कूरियर के माध्यम से या ई-कॉमर्स बिक्री के लिए ईसीईएच, विदेशी भंड़ारागार में इन्वेंट्री रखने के लिए उनके द्वारा लिए गए ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवर भी प्रदान किया जाता है।

सरकार ने एसएचजी द्वारा बनाए गए उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं, जिनमें शामिल हैं:

- निर्यात की क्षमता वाले एसएचजी उत्पादों को संभावित अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के सामने प्रदर्शित करने के लिए सरस आजीविका मेला।
- उत्पाद गुणवत्ता, डिजाइन, पैकेजिंग और अंतर्राष्ट्रीय बाजार आवश्यकताओं पर प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण, साथ ही आईएसओ, जैविक और निष्पक्ष व्यापार जैसे प्रमाणन की सुविधा, और एसएचजी महासंघों के बीच सहयोगात्मक निर्यात संघों के लिए सहायता।
- सरकार, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के माध्यम से, हथकरघा और हस्तशिल्प कारीगरों के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विपणन कार्यक्रमों का आयोजन करती है, जिनमें से कई एसएचजी/उत्पादक समूहों के रूप में संगठित हैं।

निर्यातकों, निर्यात संवर्धन परिषदों, उद्योग संघों और राज्य सरकारों के साथ बातचीत के माध्यम से समय-समय पर हितधारक परामर्श और कार्यान्वयन चुनौतियों का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने, अपने उत्पादों और सेवाओं के निर्यात में एमएसएमई को अपेक्षित मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से देश भर में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में 65 निर्यात सुविधा केंद्र (ईएफसी) स्थापित किए हैं। ईएफसी, प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक सहायता प्रदान करके एमएसएमई निर्यातकों की सहायता करते हैं। इनमें एमएसएमई को सुविधा प्रदान करने के लिए निर्यात से संबंधित स्कीमों और लाभों की जानकारी का प्रसार, निर्यात अनुपालन पर प्रशिक्षण और कार्यशालाएं, निर्यात दस्तावेज़ीकरण एवं प्रक्रियाओं में सहायता, उद्योग संघों, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार के विभाग कार्य कर रहे हैं।
